31.

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 34 दायर दिनांक : 30.01.2024

गुड्डीदेवी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —प्रार्थी

बनाम

1. लखासिंह पुत्र खानसिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 डी.डब्ल्यू. एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (फौत) जरिये वारिसान :—
   - 1/1. लिछमादेवी पत्नी लखासिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   - 1/2. मिलखाराम पुत्र लखासिंह (फौत) जरिये वारिसान :—
     - 1/2/1. पूर्णराम पुत्र मिलखाराम जाति रायसिख निवासी चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   - 1/3. तिलोकाराम
   - 1/4. फुमणराम
   - 1/5. जीतो
   - 1/6. मंगलाराम
   - 1/7. श्यामलाल
   - 1/8. सुमित्रा
   - 1/9. पप्पी
   - 1/10. अमरो

   पुत्र/पुत्रीयां लखासिंह अकवाम रायसिख निवासीयान चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषकगण प्रार्थीया की ओर से
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक : 20.05.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक 5 डी. डब्ल्यू.एम. के खाता सं. 13/14 के पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 20 से 22 = 0.759 है0 कमाण्ड भूमि व अप्रार्थीगण के पति/पिता लखासिंह पुत्र खानसिंह के नाम से चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. के खाता सं. 51/47 के पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 1 से 5, 8 से 13, 18, 23 = 3.289 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण की भूमि के चिपते पत्थर नं. 156/33 के किला नं. 21 से 25 में मजूरशुदा चालू रास्ता है, जिससे जोड़ते हुए प्रार्थीया, अप्रार्थीगण के पति/पिता की पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 1, 10, 11 के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1¼-1¼ बिस्वा रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी भूमि को जोड़ते हुए राजस्व रिकॉर्ड में मंजूर करवाना चाहती है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थीया को रास्ता को अत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण से उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु तहसील में चलकर बयान देने का निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का नोटिस आने के बाद आगे की कार्यवाही करेंगे, इसलिए प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 5 डी. डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 20 से 22 = 0.759 है0 कमाण्ड भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण के पति/पिता लखासिंह पुत्र खानसिंह के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 1, 10, 11 के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1¼-1¼ बिस्वा चौड़ाई में रास्ता, पत्थर नं. 156/33 के किला नं. 21 से 25 में मजूरशुदा चालू रास्ता को जोड़ते हुए, स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से मौका जांच एवं अनुशंसा प्राप्त होने पर पत्रावली पेशी में ली गई व अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/पंजीकृत नोटिस तलब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 1/1, 1/2/1, 1/3 से 1/10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराया व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ की मौका रिपोर्ट का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं.

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

156/34 के किला नं. 20 से 22 = 0.759 है0 कमाण्ड भूमि व अप्रार्थीगण के पति/पिता लखासिंह पुत्र खानसिंह के नाम से चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 1 से 5, 8 से 13, 18, 23 = 3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थीया को अपनी उक्त भूमि में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थीया को रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है, इसलिए नजरी नक्शा की ओर ध्यान दिलाते हुए अप्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा में चिपते पत्थर नं. 156/33 के किला नं. 21 से 25 में मजूरशुदा चालू रास्ता को जोड़ते हुए अप्रार्थीगण के पति/पिता के नाम की खातेदारी कृषि भूमि में से चक 5 डी. डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 1, 10, 11 के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1¼-1¼ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की ताकि प्रार्थीया अपने पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 20 में प्रवेश कर सके। रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीया भूमि देने के लिए तैयार है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता चालू नहीं है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण सं. 1/1, 1/2/1, 1/3 से 1/10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हो चुके हैं। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

तर्क सुनने के उपरान्त तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने पर पाया जाता है कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 20 से 22 = 0.759 है0 कमाण्ड भूमि में आने–जाने के लिए, इस पत्थर के उत्तर दिशा में पत्थर नं. 156/33 के किला नं. 21 से 25 में मजूरशुदा चालू रास्ता से, अप्रार्थीगण के पति/पिता लखासिंह पुत्र खानसिंह के नाम की खातेदारी कृषि भूमि चक 5 डी. डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 1, 10, 11 के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1¼-1¼ बिस्वा रास्ता प्रार्थीया के किला नं. 20 तक स्वीकृत करवाना चाहती है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रार्थीया उक्त रास्ते से होकर अपने खेत में प्रवेश करती आ रही है। रिपोर्ट तहसीलदार में भी रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुंशषा की गयी है। अप्रार्थीगण सं. 1/1, 1/2/1,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(34/2024 गुड्डीदेवी बनाम लखासिंह (फौत) जरिये वारिसान लिछमादेवी व अन्य)

1/3 से 1/10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हो चुके हैं। प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी रकबा में आने–जाने के लिए आवश्यकता हेतु रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है, और काश्तकार को सुगम रास्ता उपलब्ध हो सके, इसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पति/पिता लखासिंह पुत्र खानसिंह जाति रायसिख सा. देह खातेदार के नाम अंकित वाके चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 51/47 के पत्थर नं. 156/34 (11) के किला नं. 1 से 5, 8 से 13, 18, 23 = 3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 156/34 (11) के किला नं. 1 में 0.0158 है0 बजानिब पश्चिम दिशा, 10 में 0.0158 है0 बजानिब पश्चिम दिशा व 11 में 0.0158 है0 बजानिब पश्चिम दिशा, कुल रकबा 0.0474 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है व स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि अंकित खातेदार लखासिंह पुत्र खानसिंह के नाम से कलमजन कर रास्ता के खाते में दर्ज किये जाने एवं स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीया गुड्डीदेवी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार सा. 5 डी.डब्ल्यू.एम. खातेदार के नाम अंकित वाके चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 13/14 के पत्थर नं. 156/34 के किला नं. 20 से 22 = 0.759 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से किला नं. 20 में 0.0474 है0 भूमि बजानिब पूर्वी–उत्तरी पासा (पश्चिम में 0.0158 है0 भूमि छोड़ते हुए) अंकित खातेदार गुड्डीदेवी पत्नी लालचन्द के नाम से कलमजन कर, अप्रार्थीगण के पति/पिता लखासिंह पुत्र खानसिंह जाति रायसिख सा. देह खातेदार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को दिये जाते हैं तथा मौका पर रास्ता चालू करवाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेशों की पा[illegible] तहसीलदार सूरतगढ़ को पत्र जारी कर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावें। पत्रावली तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक २०..05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़